संख्या-469/2021/2788/41-2021-04(बजट)/2021टी0सी0

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 29 सितम्बर 2021**

विषयः- मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद खीरी के वि0स0क्षेत्र -निघासन में स्थित काली माता मंदिर एवं बाबा रामदास मोटेबाबा के पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण के संबंध में ।

होदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-2950/मु0मं0स0यो0(34)/2021 दिनांक 17 सितम्बर 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. मा0 मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद खीरी के विधानसभा क्षेत्र - निघासन में स्थित काली माता मंदिर एवं बाबा रामदास मोटेबाबा के पर्यटन विकास की योजना हेतु शासनादेश संख्या -95/ 2021/281/41-2021-04 (बजट)/2021 दिनांक 04-02-2021 द्वारा रू0 50.00 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 25.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी ।

3- महानिदेशक पर्यटन द्वारा क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी लखनऊ के पत्रांक-836/मु0प0सं0यो0-खीरी/2021 दिनांक 03-09-2021 के आधार पर यह अवगत कराया गया है कि उक्त योजनान्तर्गत सत्संग हाल शौचालय/बोरिंग/ इण्टरलाकिंग/02 नग आर0 ओ0/ 18 नग आर0 सी0 सी0 बेंच व 16 नग सोलर लाइट का कार्य स्वीकृत था । विधानसभा क्षेत्र- निघासन में स्थित काली माता मंदिर एवं बाबा रामदास मोटेबाबा स्थल वन क्षेत्र में होने के कारण पक्के निर्माण कार्य हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अनुरोध किया गया था । वन विभाग द्वारा व्यक्त की गई आपत्ति के दृष्टिगत मा० सदस्य विधान सभा- निघासन श्री शशांक वर्मा ने पत्र दिनांक 25-08-2021 द्वारा पक्के निर्माण कार्य यथा- सत्संग हाल/ शौचालय/ बोरिंग/ इन्टरलाकिंग/एक नग आर0 ओ0/ 09 नग आर0 सी0 सी0 बेंच व 08 नग सोलर लाइट का कार्य बाबा रामदास मोटेबाबा मंदिर में कराने तथा काली माता मंदिर वन बहुल्य क्षेत्र में होने के कारण वहां पर 01 नग आर0 ओ0/ 08 नग सोलर लाइट/ 09 नग आर0 सी0 सी0 बेंच का कार्य कराये जाने हेतु अपनी संस्तुति उपलब्ध करायी है । उक्त के दृष्टिगत मा0 मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजनान्तर्गत जनपद खीरी के विधानसभा क्षेत्र - निघासन में रिथत काली माता मंदिर स्थल वन बहुल्य क्षेत्र में होने के कारण उक्त परिसर में 01 नग आर ओ0/ 08 नग सोलर लाइट/ 09 नग आर0 सी0 सी0 बेंच का कार्य तथा बाबा रामदास मोटेबाबा मंदिर परिसर में सत्संग हाल/ शौचालय/ बोरिंग/ इन्टरलाकिंग/ एक नग आर0 ओ0/ 09 नग आर0 सी0 सी0 बेंच व 08 नग सोलर लाइट के कार्य का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है । उक्त कार्य पूर्व में स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही कराये जाने का उल्लेख प्रस्ताव में किया गया है।

4- उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 सदस्य विधान सभा की संस्तुति एवं महानिदेशक पर्यटन के प्रस्ताव क्रम में मा0 मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजनान्तर्गत जनपद खीरी के वि0स0-निघासन में स्थित काली माता मंदिर स्थल वन क्षेत्र में होने के कारण उक्त परिसर में मात्र 01 नग आर0ओ0/ 06 सोलर लाइट/ 04 नग आर0सी0बेंच/इण्टरलाकिंग करने तथा शेष पक्के निर्माण कार्य यथा- सत्संग हाल/ शौचालय/ बोरिंग/ इण्टरलाकिंग/ 01 नग आर0ओ0/ 09 नग आर0सी0सी0 बेंच व 08 नग सोलर लाइट का कार्य बाबा रामदास मोटेबाबा मंदिर में स्वीकृत धनराशि से कराये जाने की अनुमति *इस प्रतिबन्ध सहित प्रदान की*

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जाती है कि मूल स्वीकृति के अन्तर्गत अनुमन्य कार्यों को ही प्रायोजनान्तर्गत कराया जायेगा एवं कार्यों के डायमेन्शन में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

5- शासनादेश संख्या -95/ 2021/281/41-2021-04 (बजट)/2021 दिनांक 04-02-2021 की अन्य शर्तें /प्रतिबन्ध एवं प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या-469/2021/2788/41-2021-04(बजट)/2021टी0सी0 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी खीरी ।
4- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
7- अधीक्षण अभियन्ता , उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 निर्माण खण्ड-1 लखीमपुर खीरी।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ,उ0प्र0 शासन।
9- संबंधित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
10- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी लखनऊ।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।